59

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–भिण्ड R38-77-I-16

1– रामरतन पुत्र श्री रामदयाल
2– गब्बर पुत्र श्री रामदयाल
निवासीगण– ग्राम सर्वा तहसील गोहद
जिला – भिण्ड (म.प्र.)

— आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन, द्वारा कलेक्टर,
जिला भिण्ड (म.प्र.)
2– महिला अजुद्दी बेवा रतिराम
निवासी–ग्राम सर्वा मजरा धमसाकापुरा
तहसील गोहद, जिला–भिण्ड (म.प्र.)

— अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 24/03–04 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10.01.2008 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

1. यहकि, विवादित भूमि पर विगत कई वर्षो से आवेदकगण का निरन्तर कब्जा कास्त करके चला आ रहा था, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुये आदेश दिनांक 14.11.2001 से आवेदकों के हित में भूमि व्यवस्थापित किये जाने का आदेश पारित किया गया।
2. यहकि, तहसील न्यायालय के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा अथवा म.प्र. शासन द्वारा समक्ष न्यायालय में कोई अथवा पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं किया, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया। और अंतिम आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण अथवा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण किया जाना विधिवत् नहीं है।
3. यहकि, तहसील न्यायालय के अपीलीय आदेश के विरूद्ध कोई पुनरीक्षण अथवा अपील किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया। किन्तु ग्राम वासी रणवीर सिंह की ओर से एक शिकायत कलेक्टर जिला भिण्ड को इस आशय से प्रस्तुत की गयी। कि प्रश्नाधीन भूमि का मौका स्थल निरीक्षण किये बिना

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3877/एक/2016 जिला–भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-8-17	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 24/03–04/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10.01.2008 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि रणवीर सिंह की ओर से शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित जॉच प्रतिवेदन/भूमि बंटन आदेश दिनांक 14.11.2001 के विधिक परीक्षण उपरान्त वादग्रस्त आदेश दिनांक 14.11.2001 के अन्तर्गत विचारण हेतु प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में ग्राह्य किया जाकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। तथा भूमि बंटन कार्यवाही को विधिवत् प्रक्रिया के अनुसार होना नहीं मानकर पारित आदेश दिनांक 10.01.2008 से प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 14.11.2001 विधि संगत्/भूमि बंटन नियमों के प्रतिकूल होने से अपास्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं। 3– निगरानी मैमो में अंकित आधारो पर आवेदक के अभिभाषक श्री के. के. द्विवेदी एवं शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 4– शासन के पैनल लायर ने आपत्ति की है, कि कलेक्टर जिला भिण्ड का आदेश दिनांक 10.01.2008 का है जिसके विरूद्ध निगरानी	

विलंब से प्रस्तुत की गयी है। इसलिये निगरानी समय बाह्य होने से निरस्त की जाये। आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि निगरानी मेमो के साथ अवधि विद्यान की धारा 5 का आवेदन दिया है। जिसमे वर्णित तथ्य सहीं है इसलिये बिलंब क्षमा करते हुये मामले का निराकरण गुण दोष पर किया जाये।

उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्को पर विचार करने एवं अवधि विद्यान की धारा 5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों के क्रम में कलेक्टर जिला भिण्ड के आदेश दिनांक 10.01.2008 के अवलोकन पर पाया गया कि कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का विधिवत् अवसर प्रदान किये बिना आदष पारित किया है और उक्त आदेश की सूचना आवेदकगण को नहीं दी गयी है। ऐसी स्थिति में अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है अतः निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ बिलव सद्भावना पर आधारित होने से क्षमा किये जाने योग्य है।

उभय पक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एवं प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा भूमि का आवंटन विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुये किया गया है। उद्घोषणा का प्रकाशन सार्वजनिक स्थल पर मुनादी से कराया गया है। जिसपर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है, और न ही तहसील न्यायालय के आदेश की अपील अथवा पुनरीक्षण सक्षम न्यायालय में नहीं किया गया है। जबकि तहसील न्यायालय का आदेश अपीलीय आदेश था जिसके विरूद्व सक्षम न्यायालय मे केवल अपील की जानी चाहिये थी। जो नहीं की गयी है, ऐसी स्थिति में पुनरीक्षण अथवा स्वप्ररेणा से पुनरीक्षण नही किया जा सकता। लम्ब समय पश्चात् प्रकरण में स्वमेव पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राज चन्द्र बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एस.एस.सी. 44 में यह मत निर्धारित किया है।

कि स्वप्ररेणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जानी चाहिये। माननोय उच्च न्यायालय न्यायधीष एस.के. गंगेले ने वर्ष 2013 में प्रकरण अनुधिक गृह निर्माण सहकारी समिति बनाम म.प्र. राज्य एवं अन्य रेवन्यू निर्णय 2013 पृष्ठ 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उपरोक्त न्यायिक दृष्टातों के परिपेक्ष्य में कलेक्टर जिला भिण्ड का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 24/2003–04 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10.01.2008 त्रुटिपूर्ण होने से केवल आवेदकगण के हित तक के भाग को निरस्त करते हुये शेष भाग को यथावत् रखा जाता है। तथा तहसीलदार गोहद वृत्त एण्डोरी को आदेश दिये जाते है। कि शासकीय अंकित कर दी गयी ग्राम मौजा सर्वा की पुराना भूमि सर्वे क्रमांक 1831 एवं नवीन बंदोवस्त सर्वे कमांक 1319 रकवा 0.84 है0 पर चालू वर्ष के खसरे (कम्प्यूटराईज्ड खसरा सहित) में आवेदक रामरतन, गब्बर पुत्रगण रामदयाल जाटव के नाम की प्रवृष्टि भूमिस्वामी के रूप मे अंकित करायें।

सदस्य